निर्णय व इजलास श्री विश्वजीत सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 37/2020
दायरा दिनांक :– 15.07.2020
निर्णय दिनांक :– 03/10/2025

उनवान

1. मांगीलाल उम्र 65 वर्ष दत्तक पुत्र श्री बंजरगलाल जाति लोधा निवासी मजरावता तहसील बारां जिला बारां राज0

–प्रार्थी

बनाम

1. जमनालाल आयु 50 वर्ष पुत्र श्री पृथ्वीराज जाति लोधा निवासी मजरावता तहसील बारां जिला बारां राज0

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक :– 03/10/2025

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री ओम भारद्वाज एड – प्रार्थी
2. श्री हरिओम चतुर्वेदी एड – अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम कल्याणपुरा घाटा तहसील बांरा मे खाता सख्या नया 69 पुराना 73 से खसरा न0 24 रकबा 2.00 हैक्टर, खसरा न0 26 रकबा 0.30 हेक्टर, खसरा न0 31 रकबा 0.68 हैक्टर कुल 3 किता रकबा 2.98 हैक्टर स्थित है। उक्त आराजी वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी/वादी की खातेदारी मे. अंकित है। उक्त आराजी मे से खसरा न0 26 रकबा 0.30 हैक्टर ही विवादित है । जिसे आगे विवादित आरांजी के नाम से सम्बोन्धित किया गया है विवादित आराजी खसरा न0 26 रकबा 0.30 हैक्टर पर प्रार्थी/वादी बहैसियत खातेदार कृषक काबिज चला आ रहा है तथा प्रतिवर्ष फसल बोता एंव काटता चला आ रहा है तथा इस वर्ष भी प्रार्थी/वादी ने उक्त विवादित आराजी को हांक जोत कर फसल उडद व ज्वार बोई हुयी है, जो उग आयी है अप्रार्थी/प्रतिवादी, प्रार्थी/वादी से द्वेषता रखता है तथा प्रार्थी/वादी की उक्त विवादित आराजी खसरा नं. 26 रकबा 030 हैक्टर पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा करना चाहता है । जिसका अप्रार्थी/प्रतिवादी को कोई हक व अधिकार नही है। दिनांक 12..07.2020 को अप्रार्थी टेक्टर लेकर उक्त विवादित आराजी पर आ गया तथा प्रार्थी/वादी की खडी फसल उडद व ज्वार को हांकने पर आमादा हुआ तो प्रार्थी ने

उप खण्ड अधिकारी
बारां

नामुश्किल उसको रोका तो अप्रार्थी, प्रार्थी को गाली गलोच कर मारने पीटने पर आमादा हो गया तथा अप्रार्थी/प्रतिवादी ने प्रार्थी/वादी को धमकी दी कि मै तेरी फसल नष्ट करके विवादित आराजी पर जबरन कब्जा करके रहूँगां जो मुझे रोकेगा उसको जान से खत्म कर दूँगां। इस पर प्रार्थी/वादी ने काफी अनुनय विनय की। लेकिन अप्रार्थी/प्रतिवादी ने एक नही सुनी। अप्रार्थी/प्रतिवादी को कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है कि वह प्रार्थी/वादी की खातेदारी एंव कब्जे, काश्त की आराजी पर जबरन कब्जा करें। अस्तु प्रार्थी/वादी, अप्रार्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध अविलम्ब अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवा पाने का अधिकारी एंव नालिशी है।यदि अप्रार्थी अपने उद्देश्य मे कामयाब हो गया तो प्रार्थी को अपार क्षति होगी। जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी रूप मे संम्भव नही हो सकेगी तथा प्रार्थी को अनन्य मुकदमे बाजी मे उलझना पडेगा। प्रार्थी का मुकंदमा प्रथम दृष्टया सिद्ध है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के ही पक्ष मे है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ता फैसला वाद अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा अविलम्ब पाबन्द किया जावे कि प्रार्थी/वादी की विवादित आराजी वाके कल्याणपुरा घाटा तहसील बांरा की आराजी खसरा नं0 26 रकबा 0.30 हैक्टर पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त बना रहने देवें, उसके कब्जे काश्त मे किसी भी प्रकार की मदाखलत न तो स्वयं करे न ही अपने प्रतिनिधि/स्वजनो से करावें।

प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री हरिओम चतुर्वेदी एड0 का वकालतनामा पेश हुआ साथ ही जवाब प्रार्थना पत्र सहित प्रति प्रार्थना पेश किया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम कल्याणपुरा घाटा सम्वत 2071-2071 खाता संख्या नया 69 पुराना 73, नकल गिरदावरी जमाबन्दी ग्राम कल्याणपुरा घाटा सम्वत 2075, सीमाज्ञान रिपोर्ट पटवार मण्डल सम्बलपुर ग्राम कल्याणपुरा घाटा दिनांक 12.07.2019, सीमाज्ञान मौका रिपोर्ट पटवार मण्डल सम्बलपुर ग्राम कल्याणपुरा घाटा दिनांक 03.07.2020, पेश की गई।

वकील अप्रार्थी द्वारा प्रति प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी के साबिक खसरा नं. 5 क्षेत्रफल 14 बीघा 18 बीस्वा के सेटलमेन्ट बाद नवीन खसरा नं. 24 क्षेत्रफल 2.00 है० व खसरा नं. 26 क्षेत्रफल 0.30 है० कायम किये। अप्रार्थी के साबिक खसरा नं. 7 रकबा 6 बीघा 4 बीस्वा के सेटलमेन्ट बाद नवीन खसरा नं. 25 क्षेत्रफल 0.90 है० कायम कर अप्रार्थी के पूर्व के मुकाबले 0.10 है० रकबा कम कर हाल खसरा नं. 26 में सम्मिलित कर दिया। हाल खसरा नं. 25 व 26 एक खेत के रूप में स्थित है। अप्रार्थी के मामा अमरा ने ताउम्र खसरा नं. 25 व 26 के एक ही खेत को काश्त किया। उनकी मृत्यु उपरान्त विगत 40 वर्षो से अप्रार्थी खसरा नं. 25 व 26 की आराजी पर लगातार काबिज काश्त चला आ रहा है। दीर्घकालीन प्रतिकूल कब्जा काश्त के आधार पर अप्रार्थी को खसरा नं. 26 की विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार अर्जित कर लिये है। 02. यह कि प्रार्थी बन्दोबश्त पूर्व से ही साबिक खसरा नं. 5 के हाल खसरा नं. 24 की आराजी को काबिज काश्त करता चला आ रहा है। विवादित आराजी खसरा नं. 26 पर प्रार्थी का कभी

उप खण्ड अधिकारी
बारां

कब्जा नही रहा। अप्रार्थी का 12 वर्ष से अधिक का प्रतिकूल एवं पक्षद्रोही कब्जा होने से अप्रार्थी विवादित आराजियात का खातेदार कृषक हो गया है। विवादित आराजी से प्रार्थी के समस्त हक, अधिकार निर्वापित हो चुके है, मात्र राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज होने का फायदा उठाकर प्रार्थी ने अप्रार्थी के विवादित आराजी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी प्रारंभ कर दी और जबरन जनबल व धनबल के आधार पर कब्जा करने पर आमादा है। इस कारण अप्रार्थी का अपने कब्जे काश्त एवं खातेदारी के अधिकारों की रक्षार्थ प्रति प्रार्थना पत्र/प्रतिदावा करना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी विवादित आराजी पर अप्रार्थी के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में मदाखलत कर अप्रार्थी को जबरन विवादित आराजी से बेदखल करने पर आमादा है। इस कारण अप्रार्थी विरूद्ध प्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। विवादित आराजी पर अप्रार्थी काबिज काश्त होने से सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु अप्रार्थी के पक्ष में है तथा अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या ठोस तथ्यों पर आधारित है। प्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो अप्रार्थी को भारी अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी मोद्रिक भरपाई किसी भी रूप में संभव नही है। अन्य तथ्य वक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें। अतः जवाब प्रार्थना पत्र एवं प्रति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमावें एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाकर ता फैसला वाद प्रार्थी को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वह विवादित आराजी खसरा नं. 26 क्षेत्रफल 0.30 है० पर अप्रार्थी के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मदाखलत, व्यवधान एवं दखल अन्दाजी न तो स्वयं करें, ना ही अपने ऐजेन्टो अथवा हित प्रतिनिधियों से करावें।

वकील प्रार्थी द्वारा जवाब उल जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। वाके ग्राम कल्याणपुरा घाटा तहसील बांरा मे खाता सख्या नया 69 पुराना 73 से खसरा न0 24 रकबा 2.00 हैक्टर, खसरा न० 26 रकबा 0.30 हैक्टर, खसरा न० 31 रकबा 0.68 हैक्टर कुल 3 किता रकबा 2.98 हैक्टर स्थित है। उक्त आराजी वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी/वादी की खातेदारी में अंकित है। उक्त आराजीयात पर प्रार्थी/वादी बहैसियत खातेदार कृषक काबिज काश्त चला आ रहा है तथा प्रतिवर्ष फसल बोता एंव काटता चला आ रहा है। उक्त आराजी खसरा न० 26 रकबा 0.30 हैक्टर पर आज तक अप्राथर्थी का किसी भी रूप में कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। अप्रार्थी जबरन ताकत के बल पर खसरा न० 26 रकबा 0.30 हैक्टर से प्रार्थी/वादी को बेदखल कर जबरन कब्जा करना चाहता है । जिसका अप्रार्थी को कोई हक व अधिकार नहीं है। यदि अप्रार्थी, विवादित आराजी से कानून की आड लेकर प्रार्थी को विवादित आंराजी से बेदख़ल करने में कामयाब हो गया तो प्रार्थी को आर्थिक एंव मानसिक क्षति उठानी पडती है। जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी रूप मे नही हो सकेगी । प्रार्थी का विवादित आराजी पर अपने पूर्वजो के समय बिना रोक टोक के निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा प्रतिवर्ष फसल पैदा करता एंव काटता चला आ रहा है। अप्रार्थी का विवादित आराजी खसरा नं. 26 रकबा 0.30

उप खण्ड अधिकारी
बारां

क्टर पर मोके पर कोई कब्जा नही है इस कारण अप्रार्थी को किसी प्रकार की क्षति नहीं हो रही है और ना ही उसका यह प्रथम दृष्टया मुकदमा है व ना ही सुविधा सन्तुलन अप्रार्थी मे है। अतः अप्रार्थी का प्रति प्रार्थना पत्र (काउन्टर क्लेम) खारिज फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है, कि वाके ग्राम कल्याणपुरा घाटा तहसील बांरा मे खाता सख्या नया 69 पुराना 73 से खसरा न0 24 रकबा 2.00 हैक्टर, खसरा न0 26 रकबा 0.30 हेक्टर, खसरा न0 31 रकबा 0.68 हैक्टर कुल 3 किता रकबा 2.98 हैक्टर स्थित है। उक्त आराजी वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी की खातेदारी मे. अंकित है। उक्त आराजी मे से खसरा न0 26 रकबा 0.30 हैक्टर ही विवादित है । विवादित आराजी खसरा न0 26 रकबा 0:30 हैक्टर पर प्रार्थी बहैसियत खातेदार कृषक काबिज चला आ रहा है तथा प्रतिवर्ष फसल बोता एंव काटता चला आ रहा है अप्रार्थी प्रार्थी की उक्त विवादित आराजी खसरा नं. 26 रकबा 030 हैक्टर पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा करना चाहता है । जिसका अप्रार्थी को कोई हक व अधिकार नही है। दिनांक 12..07.2020 को अप्रार्थी टेक्टर लेकर उक्त विवादित आराजी पर आ गया तथा प्रार्थी की खडी फसल उडद व ज्वार को हांकने पर आमादा हुआ तो प्रार्थी ने बामुश्किल उसको रोका तो अप्रार्थी, प्रार्थी को गाली गलोच कर मारने पीटने पर आमादा हो गया तथा अप्रार्थी ने प्रार्थी को धमकी दी कि मै तेरी फसल नष्ट करके विवादित आराजी पर जबरन कब्जा करके रहूँगां। यदि अप्रार्थी अपने उद्देश्य मे कामयाब हो गया तो प्रार्थी को अपार क्षति होगी। जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी रूप मे संम्भव नही हो सकेगी। प्रार्थी का मुकंदमा प्रथम दृष्टया सिद्व है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के ही पक्ष मे है। अतः निवेदन है कि ता फैसला वाद अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा अविलम्ब पाबन्द किया जावे कि प्रार्थी की विवादित आराजी वाके कल्याणपुरा घाटा तहसील बांरा की आराजी खसरा नं0 26 रकबा 0.30 हैक्टर पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त बना रहने देवें, उसके कब्जे काश्त मे किसी भी प्रकार की मदाखलत न तो स्वयं करे न ही अपने प्रतिनिधि/स्वजनो से करावें।

बहस अभिभाषक अप्रार्थीगण सुनी गई। बहस के दौरान वकील अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील अप्रार्थीगण का कथन है, प्रार्थना पत्र की चरण क्रम 02 विवादित आराजी खसरा नं. 26 रकबा 0.30 है० प्रार्थी के कब्जे काश्त में होना मिथ्या, बनावटी, निराधार है। अपितु कथन है कि खसरा नं. 26 क्षेत्रफल 0.30 है० आराजी साबिक खसरा नं. 5 रकबा 14 बीघा 18 बीस्वा का भू–भाग है। अप्रार्थी के मामा अमरा के साबिक खसरा नं. 7 रकबा 6 बीघा 4 बीस्वा आराजी के बाद सेटलमेन्ट नवीन खसरा नं. 25 क्षेत्रफल 0.90 है० कायम कर पूर्व के मुकाबले 0.10 है० रकबा कम कर दिया। हाल खसरा नं. 25 व 26 मौके पर एक खेत के रूप में स्थित है

उप खण्ड अधिकारी
बारां

...सपर अप्रार्थी के मामा अमरा आजीवन काबिज काश्त रहे। अमरा की मृत्यु उपरान्त लगभग 40 वर्षो से अप्रार्थी जमनालाल काबिज चला आ रहा है। प्रार्थी का विवादित अराजी पर कभी भी कब्जा नही रहा, अप्रार्थी के अपने पूर्वजो सहित विवादित आराजी पर लम्बे दीर्घकालीन पक्षद्रोही प्रतिकूल कब्जे काश्त के आधार पर अप्रार्थी ने खातेदारी अधिकार अर्जित कर लिये है। प्रार्थी के विवादित आराजी पर खातेदार अधिकार निर्वापित हो गये। विवादित आराजी पर अप्रार्थी अपने पूर्वजों सहित 40 वर्षो से अधिक समय से काबिज काश्त चला आ रहा है। बेदखली का वाद किये बिना प्रार्थी अप्रार्थी के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/वाद निरस्तनीय है। प्रार्थी का मुकदमा न तो प्रथमदृष्ट्या है और ना ही सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थी का 12 वर्ष से अधिक का प्रतिकूल एवं पक्षद्रोही कब्जा होने से अप्रार्थी विवादित आराजियात का खातेदार कृषक हो गया है। मात्र राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज होने का फायदा उठाकर प्रार्थी ने अप्रार्थी के विवादित आराजी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी प्रारंभ कर दी और जबरन जनबल व धनबल के आधार पर कब्जा करने पर आमादा है। इस कारण अप्रार्थी का अपने कब्जे काश्त एवं खातेदारी के अधिकारों की रक्षार्थ प्रति प्रार्थना पत्र/प्रतिदावा करना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी विवादित आराजी पर अप्रार्थी के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में मदाखलत कर अप्रार्थी को जबरन विवादित आराजी से बेदखल करने पर आमादा है। इस कारण अप्रार्थी विरूद्ध प्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। विवादित आराजी पर अप्रार्थी काबिज काश्त होने से सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु अप्रार्थी के पक्ष में है तथा अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या ठोस तथ्यों पर आधारित है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाकर ता फैसला वाद प्रार्थी को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वह विवादित आराजी खसरा नं. 26 क्षेत्रफल 0.30 है० पर अप्रार्थी के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मदाखलत, व्यवधान एवं दखल अन्दाजी न तो स्वयं करें, ना ही अपने प्रतिनिधियों से करावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान् सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड अनुसार ग्राम कल्याणपुरा घाटा तहसील बारां की आराजी खाता संख्या नया 69 पुराना 73 खसरा नम्बर 24 ख०नं० 26 एवं ख०नं० 31 प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य खसरा नम्बर 26 रकबा 0.30 है0 भूमि पर कब्जा काश्त का विवाद है।

1. प्रथम दृष्टया मामला :— प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड अनुसार ग्राम कल्याणपुराघाटा तह0 बारां की आराजी खाता संख्या नया 69 पुराना 73 खसरा नम्बर 26 रकबा 0.30 है0 भूमि विवादित है। जिसमें उक्त विवादित आराजी पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी कब्जा काश्त संबंधित विवाद प्रतित होता है। इसलिए प्रथम दृष्टयां मामला ठोस तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है, जो प्रार्थीया के पक्ष मे है।

उपखण्ड अधिकारी
बारां

सुविधा का संतुलन :—मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार ग्राम कल्याणपुराघाटा तह0 बारां की आराजी खाता संख्या नया 69 पुराना 73 खसरा नम्बर 26 रकबा 0.30 है0 भूमि प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। इसलिए सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष है।

3. अपूर्णनीय क्षति :— विवादित आराजियात ग्राम कल्याणपुराघाटा तह0 बारां की आराजी खाता संख्या नया 69 पुराना 73 खसरा नम्बर 26 रकबा 0.30 है0 भूमि प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज होने से अप्रार्थी द्वारा कब्जा किया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचानुसार प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र 212 आर.टी.ए. आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी का काउन्टर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम कल्याणपुराघाटा तह0 बारां की आराजी खाता संख्या नया 69 पुराना 73 खसरा नम्बर 26 रकबा 0.30 है0 भूमि में उभयपक्षकारान को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक उक्त आराजियात के मौके की यथास्थिति बनाई रखें इस स्थगन आदेश से फोती/विरासत नामान्तरण पर प्रभावी नहीं होगा।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्वजीत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां
उप खण्ड अधिकारी
बारां